

Directorate of Estates except for 16 numbers, 8 of which were beyond economic repairs and are to be demolished and the balance is being used as office and stores. Further, 452 quarters in Delhi were slated for demolition and redevelopment of area. Out of these, 340 are lying vacant, 55 are under encroachment and the remaining 57 quarters are temporarily being used as Stores/Offices and residences by the CPWD staff permitted by the Field Units on their own on payment of licence fee.

(0 For irregular action by the Field Units of the CPWD, Chief Engineers have been directed by Director General (Works), C.P.W.D. to take immediate action to get the quarter vacated and to fix responsibility for these lapses.

निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम

127. श्री इकबाल सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने भारत के संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लड़के-लड़कियों को रियायती दर पर उच्च शिक्षा दिलवाने के संबंध में किसी राष्ट्रीय-नीति का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौर क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री भुही राम सैफिया): (क) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यथाबोधित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह संकल्प किया गया है कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के पूर्व ही 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करा दी जाये।

नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सभी राज्यों में सरकारी प्राथमिक

स्कूलों के बच्चों को शिक्षण शुल्क की अदायगी से छूट दी गई है। कई राज्यों ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बच्चों और लड़कियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, स्कूल की वर्दी और अन्य प्रोत्साहन देने के लिए प्रावधान किए हैं।

केन्द्रीय सरकार ने संपूर्ण देश में प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1995-96 में प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम शुरू किया है।

कोल इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत कंपनियों के कोयले के स्टॉक की ओवर रिपोर्टिंग किंवा बाना

128. श्री दिलीप सिंह जुदेव: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कंपनियों में वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान कोयले के स्टॉक की ओवर रिपोर्टिंग करने के आरोप सिद्ध हो गये हैं;

(ख) प्रत्येक कंपनी के जादाधिक स्टॉक और सूचित स्टॉक के मध्य कितना अंतर पाया गया है और इस अंतर का मूल्य कितना आंका गया है;

(ग) ओवर-रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध 30 नवम्बर, 1995 तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):

(क) कोल इंडिया लिमिटेड (कोईरलिन) के अंतर्गत 3 कंपनियों में ही कोयले के स्टॉक में कमी पाई गई थी अर्थात् इस्टन कोलफील्ड्स लि., भारत कोकिंग कोल लि. और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि., जिसका 1994-95 के अंत में कोयले के स्टॉक का वार्षिक रूप में मापन किये जाने के बाद पता चला था। 1995-96 के अंत में कोयले के स्टॉक के मापन के संबंध में निरीक्षण जांच का कार्य प्रगति पर है।

(ख) 1994-95 के अंत में मापित स्टॉक तथा कोयले के पुस्तिका स्टॉक के बीच अंतराल मापन अशुद्धि की 5 प्रतिशत से अधिक स्वीकार्य सीमा से बढ़ गया था जो कि नीचे दर्शायी गई है:-

कंपनी	कमी कि टन में	मूल्य करोड़ ₹ में
ई. को. लि.	0.22	12.6
भा. को. को. लि.	2.92	132.45
सं. को. लि.	6.51	269.98

(ग)कमी के संबंध में वर्ष 1994-95 के अंत में दिनांक 30.11.95 की स्थिति के अनुसार इस बारे में की गयी कार्रवाई की स्थिति नीचे दी गई है:-

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

48 (अड़तालीस) अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

28 (अट्ठाईस) अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड

30 (तीस) अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

Construction of, Daiteri-Banspani line in Orissa

129. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the target date for completing the construction of Daiteri-Banspani line in Orissa:

(b) the progress made as on the 31st march, 1996;

(c) the reasons for delay in the construction of that project; and

(d) the steps taken to expedite the construction work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) The line is currently targetted for completion in 1998-99, subject to availability of resources.

(b) Banspani to Joruri (15kms.) is targetted for completion in August, 1996. The earthwork and bridges are under construction beyond Joruri.

(c) Constraint of resources.

(d) The possibility of obtaining private funds to enable earlier completion of the line is being explored.

Drafting of National Policy on Women

130. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE

DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the National Policy on Women has since been drafted; if so, the details thereof; and

(b) if not, by when it will be drafted?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) Yes, Sir. A copy of the draft policy is given in the Annexure. [See Appendix 178, Annexure No. 6]

(b) Does not arise.

Aanganwadi workers

131. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide facilities enjoyed by Government employees to Aanganwai workers also; if so, the details of the proposal; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) and (b) No, Sir. No such proposal is under consideration of the Government at present. It is, however, indicated that anganwadi workers are honorary workers drawn largely from the local community and are paid a fixed amount of honorarium for the voluntary effort put by them in the Implementation of Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notification of Ministry of Agriculture

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA) : Sir I lay on the Table, under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), Notification S.O. No. 306(E) dated the 17th April, 1996, regarding the supplies of fertilisers to be made by domestic manufacturers of fertilisers to various States, Union Territories/Commodity Board during the period 1st April, 1996 to 30th September, 1996